राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
31/2022	01-06-2022	08/07/2022

बउनवान :-

01. दिनेश यादव पुत्र हरिकिशन
02. महेश पुत्र औमप्रकाश
03. राकेश यादव पुत्र परमानन्द जाति अहीर निवासीगण चकरपुर तहसील व जिला गुरूग्राम (हरि.) हाल काश्तकार वाके ग्राम पावटी तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज)

---:: प्रार्थीगण

व ना म

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी पैरोकार तहसील टपूकडा (अलवर)
02. दिलदार सिंह पुत्र मटकनसिंह
03. छिन्दरसिंह पुत्र दिलदारसिंह
04. जसविन्दरसिंह उर्फ निक्कू पुत्र दिलदारसिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम टिमलियावास तहसील तिजारा जिला अलवर

---:: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: निर्णय ::-

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1272/1028 रकबा 0.31 है0, 1027 रकबा 0.29 है0, 1273/1028 रकबा 0.22 है0, 1295/1013 रकवा 0.07 है0, 1297/1014 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम पावटी तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी मिन प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी की जमाबन्दी में मिन प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के नाम खातेदारी का अंकन दर्ज रिकार्ड है। मिन प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान मुताबिक जमाबन्दी अपने खातेदारी की भूमि पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजी पर वास्तविक कब्जा है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की आराजी के साथ लगती हुई अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 जोकि अपराधिक, गुण्डा प्रवृति के मुठमर्द किस्म के आदमी है। जिन्होनें प्रार्थीगण की भूमि के साथ लगती हुई भूमि पर जबरन कब्जा हुआ है और उसकी आड में ही मिन प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को जबरन करने के लिए प्रयासरत है। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार को आवेदन पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाईश कराने का निवेदन किया। तहसीलदार के आदेश कमांक आवेदन पत्र संख्या 45 पृष्ठ संख्या 8 के अनुसार हल्का पटवारी व कानूनो को आराजी की पैमाईश करने के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश की

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

अनुपालना में दिनांक 19.05.2022 को हल्का पटवारी व कानूनगों मौके पर आये। हाल आराजी खसरा नम्बर 1272/1028 रकबा 0.31 है0, 1027 रकबा 0.29 है0, 1273/1028 रकबा 0.22 है0, 1295/1013 रकबा 0.07 है0, 1297/1014 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम पावटी तहसील टपूकडा जिला अलवर की मौके पर सीमाज्ञान व पैमाईश की गई व निशानात लगाये गये तथा उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये। जिस मौका पर्चा पर हल्का पटवारी व कानूनगों ने अपने हस्ताक्षर का मौका रिपोर्ट तहसीलदार टपूकडा के समक्ष पेश की है। जिसकी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 19.05.2022 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 1272/1028 रकबा 0.31 है0, 1027 रकबा 0.29 है0, 1273/1028 रकबा 0.22 है0, 1295/1013 रकबा 0.07 है0, 1297/1014 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम पावटी तहसील टपूकडा जिला अलवर की पत्थरगढी कराई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार तहसीलदार तिजारा को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 उपस्थित जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 1272/1028 रकबा 0.31 है0, 1027 रकबा 0.29 है0, 1273/1028 रकबा 0.22 है0, 1295/1013 रकबा 0.07 है0, 1297/1014 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम पावटी तहसील टपूकडा जिला अलवर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टपूकडा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)